इकाई 10 नातेदारी*

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 नातेदारी की परिभाषा

10.3 नातेदारी के आयाम

10.4 उत्तर भारत में नातेदारी

- 10.4.1 नातेदारी समूह
- 10.4.2 नातेदारी शब्दावली
- 10.4.3 विवाह नियम
- 10.4.4 नातेदारों के बीच उपहारों का औपचारिक आदान-प्रदान

10.5 दक्षिण भारत में नातेदारी

- 10.5.1 नातेदारी समूह
- 10.5.2 नातेदारी शब्दावली
- 10.5.3 विवाह नियम
- 10.5.4 नातेदारों के बीच उपहारों का औपचारिक आदान-प्रदान

10.6 उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम भारत में मातृवंशीय समुदायों में नातेदारी संगठन

- 10.6.1 मातृवंशीय वंश व्यवस्था
- 10.6.2 उत्तर-पूर्व भारत में मातृवंशीय समूह
- 10.6.3 दक्षिण-पश्चिम भारत में मातृवंशीय समूह

10.7 सारांश

10.8 संदर्भ

10.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

10.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपके द्वारा संभव होगा :

- नातेदारी पद्धति को परिभाषित करना
- भारत में नातेदारी पद्धति के आयामों का वर्णन करना
- उत्तर भारतीय नातेदारी पद्धति के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करना
- दक्षिण भारतीय नातेदारी पद्धति के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करना
- उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिमी भारत की नातेदारी पद्धति पर चर्चा करना

10.1 प्रस्तावना

अब तक आपने भारत में परिवार और विवाह की सामाजिक संस्थाओं के बारे में जाना है। जैसा कि परिवार नातेदारी नियमों, मानदंडों और स्वरूप की मदद से अपना रूप लेता है,

*प्रो. रवीन्द्र कुमार, समाजशास्त्र संकाय, इग्नू द्वारा इकाई 8 और 9 ESO-12 से अनुकूलित।

यह आवश्यक है कि हम भारत में नातेदारी के विभिन्न रूपों के बारे में जानें। यह आपको परिवार और विवाह में शामिल सामाजिक रिश्तो की समग्र समझ प्रदान करेगा।

चूंकि भारत एक विशाल विविधता का देश है, इसलिए इसके विभिन्न क्षेत्र नातेदारी की विभिन्न प्रणलियों को दर्शातें हैं। इस इकाइया के सीमित दायरे में, भारत में पाए जाने वाले सभी विभिन्न प्रकार के नातेदारी प्रणालियों को भी रेखांकित करना संभव नहीं है। देश के दो प्रमुख भौगोलिक विभाजनों के रूप में, उत्तर और दक्षिण, दो अलग-अलग रूपों को प्रस्तुत करते है और समाजशास्त्रीय साहित्य में वर्णित किए गए हैं, इसलिए हम आपको उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय नातेदारी पद्धति से परिचत कराते है। आपको यह याद रखना चाहिए कि इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में नातेदारी पद्धतियों को कोई और किस्में नहीं है। वास्तव में भारत के उत्तर पूर्वी भाग, साथ ही, इसके अन्य क्षेत्र पश्चिम और दक्षिण के कई अन्य भागों में अन्य-अन्य प्रकार की नातेदारी पद्धतियाँ पाई जाती है।

इस प्रकार में पहले हमने नातेदारी पद्धति को परिभाषित करते हैं और फिर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में पितृवंशीय नातेदारी प्रणाली के मुख्य पलहुओं पर चर्चा करते है। हम उत्तर पूर्व और पश्चिमी भारत की नातेदारी प्रणाली पर भी चर्चा करेंगे।

10.2 नातेदारी की परिभाषा

नातेदारी पद्धति रिश्तेदारों के एक समूह को संदर्भित करती है जो या तो रक्त संबंध के आधार पर या विवाह संबंध के आधार पर रिश्तेदारों के रूप में पहचाने जाते हैं। समाजशास्त्र में, सभी रक्त संबधों को एक तकनीकी शब्द, समरक्तता द्वारा जाना जाता है । इसी तरह, विवाह के माध्यम से सभी रिश्तों को 'विवाह-संबन्धी' का शब्द दिया जाता है। उदाहरण के लिए, माँ और बेटे/बेटी, बहन और भाई/बहन, पिता और बेटे/बेटी के बीच के रिश्ते समरक्त सबंध हैं, जबकि पिता/सास और बेटी-/दमाद के बीच विवाह संबध हैं। अधिकांशतः यह इन संबधों की सामाजिक मान्यता प्रत्यक्ष जैविक संबधों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में ग्रामीण और शहरी सामाजिक जीवन में नातेदारी संबंधो का ताना वाना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

10.3 नातेदारी के आयाम

उत्तर और दक्षिण भारत में पाई गई नातेदारी पद्धतियाँ की विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित पहुलओं पर विचार करना आवश्यकता है। यहाँ हम चार पहलुओं की पहचान करने जा रहे है।

ii) **नातेदारी समूहः** नातेदार का निर्माण सामाजिक समूहों की उत्तराधिकार और अस्मिता के लिए करते है एक समूह की सीमा वंश के सिद्धांत के द्वारा प्रदान किया जाता है। समूह में एक रेखीय वंश, पितृ वंशीय व मातृवंशीय को शामिल किया जाता है तथा जो इस तरह संबन्धित नहीं है उसे शामिल नहीं करते है

iii) **नातेदारी शब्दावलीः** खास तरह के नातेदार संबध को बताने के लिए हम नातेदार शब्द का अभिव्यक्ति करते है शर्तों की सूची नातेदारी प्रणाली की प्रकृति को व्यक्त करती है। यही कारण है कि नातेदारी शब्दावली का वर्णन करके हम नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डालने में सक्षम हैं।

iv) **विवाह के नियमः** जैसे कि नातेदारी समूह एक समाज में पाए जाने वाले प्रणाली के रूप का वर्णन करते है, वैसे ही शादी के लिए भी नियम ऐसे लोगों की श्रेणियां जो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते /कर सकते है, दुल्हन-लेने वाले और दुल्हन के बीच संबधों को संदर्भ प्रदान करते हैं जिसके भीतर परिजन रिश्ते संचालित करते हैं। इसलिए किसी भी नातेदारी प्रणाली को समझने के लिए विवाह नियमों की बात करना आवश्यक है।

v) **उपहारों का आदान-**प्रदानः-समाजशास्त्री नातेदारों की विभिन्न श्रेणियों के बीच सामाजिक संबंधों का वर्णन करना पसंद करते हैं। जैसा कि किसी भी रिश्ते में हमेशा दो शब्द होते हैं, नातेदारी व्यवहार को जोड़े के रूप में वर्णित किया जाता है। उदाहरण के लिए अभिभावक बाल संबध दो पीढ़ियों के बीच नातेदारी व्यवहार को जोड़े के रूप में वर्णित किया जाता है। उदाहरण के लिए, अभिभावक बाल संबंध दो पीढ़ियों के बीच नातेदारी व्यवहार का वर्णन करेगा।

इस तरह, हमें लगता है कि उत्तर और दक्षिण भारत के संबंध में नातेदारी प्रणाली के उपरोक्त चार आयामों का वर्णन करके, हम आपको दो क्षेत्रों में नातेदारी के पैटर्न की एक सामान्य तस्वीर दे पाएंगे।

बोध प्रश्न 1

i) छह पंक्तियों में परिभाषित करें, परिजनों की रक्त-सम्बन्धी और विवाह-संबन्धी श्रेणियां, उदाहरण के साथ ।

10.4 उत्तर भारत में नातेदारी प्रणाली

आइए हम पहले यह परिभाषित करें कि हम उत्तर भारत से क्या मतलब रखते हैं। भारत में पाए जाने वाले नातेदारी प्रणालियों के वर्णन के लिए, इरावती कर्वे (1953: 93) ने चार सांस्कृतिक क्षेत्रों की पहचान की, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र। कर्वे के अनुसार, उत्तरी क्षेत्र, हिमालय के उत्तर में और विंध्य के दक्षिण में स्थित है। हम इस क्षेत्र में चार विशेषताओं के संदर्भ में इस क्षेत्र में नातेदारी प्रणाली की बुनियादी संरचना और प्रक्रिया का वर्णन कर सकते हैं जो कि i) नातेदारी समूह, ii) नातेदारी शब्दावली iii) विवाह नियम, और iv) परिजनों के बीच उपहारों का औपचारिक आदान-प्रदान है। अब, हम उत्तर भारत में नातेदारी प्रणाली पर चर्चा करने के लिए इन सुविधाओं में से प्रत्येक को लेते हैं।

10.4.1 नातेदारी समूह

उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में समाजशास्त्रीय अध्ययन से पता चलता है कि सामाजिक समूह, जैसे कि पितृवंश, जाति, उपजाति लोगों के बीच सहयोग या संघर्ष का आधार प्रदान करते हैं। अब हम इन समूहों पर चर्चा करते हैं।

i) **पितृवंशः** हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में व्यापक रूप से नातेदारी संगठन एकपक्षीय वंश समूहों पर आधारित है। जब वंश सदस्यता समूह को एक पंक्ति में साझा वंश के आधार पर पता लगाया जाता है, तो हम इसे एक एक-वंशीय वंश समूह कहते हैं। उत्तर भारत में, हमारे पास ज्यादातर पितृवंशीय वंश समूह हैं। इसका अर्थ है कि वंश पिता से पुत्र तक पुरुष क्रम में पाया जाता है। पितृवंश के सदस्य सहयोग करते हैं और साथ ही विभिन्न स्थितियों में दुश्मनी दिखाते हैं।

ii) **कुलः** वंश एक बहिर्मुखी इकाई है, अर्थात, एक ही वंश का लड़का और लड़की विवाह नहीं कर सकते। एक बड़ी बहिर्विवाह श्रेणी को कुल कहा जाता है। हिंदुओं में, इस श्रेणी को गोत्र के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पिता के गोत्र का होता है और कुल या गोत्र के भीतर विवाह नहीं कर सकता। एक व्यक्ति आम तौर पर समान पूर्वज के वंश के सदस्यों के बारे में एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में जानता हैं। लेकिन एक कुल का सामान्य पूर्वज आमतौर पर एक पौराणिक व्यक्ति है। एक वंश के सदस्य निकटता में रहते हैं और इसलिए सहयोग या संघर्ष के लिए अधिक अवसर होते हैं।

iii) **जाति और उपजातिः** वंशावली और कुलों के अलावा, नातेदारी प्रणाली जाति समूहों के परिवारों के भीतर संचालित होती है, जो एक गाँव या पास के गाँव में रहते हैं। जैसे कि जातियां अंतर्विवाही होती हैं, यानी, एक व्यक्ति एक जाति में विवाह करता है, एक जाति समूह से संबंधित लोग इस मायने में रिश्तेदार हैं कि वे पहले से संबंधित हैं या संभवतः एक-दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। जाति-संगति आमतौर पर एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आती है जब दूसरे उनके सम्मान और स्थिति को चुनौती देते हैं। उपजाति जाति का सबसे बड़ा खंड है और यह जाति के लगभग सभी कार्य करता है, जैसे कि अंतर्विवाह और सामाजिक नियंत्रण। एक उपजाति के सदस्य रिश्तेदारों के रूप में सहयोग करते हैं। वे, संदर्भ के आधार पर, सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में अनुष्ठान गतिविधियों और राजनीतिक सहयोगियों के क्षेत्र में बराबर के रूप में एक साथ काम करते हैं। उपजाति-परिजनों के बीच, हमें विवाह से संबंधित व्यक्ति को भी शामिल करना चाहिए।

काल्पनिक परिजनः हमें ग्रामीणों के बीच काल्पनिक नातेदारी को मान्यता देने में उल्लेख करना चाहिए । अक्सर, लोग, जो वंश या विवाह से संबंधित नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ काल्पनिक नातेदारी के बंधन बनाते हैं। हम कई आदिवासी और गाँव के अध्ययन में इस तरह के अभ्यास का प्रमाण पाते हैं। उत्तर भारत के एक गाँव में आम निवास के आधार पर, असंबद्ध व्यक्ति आमतौर पर भाइयों की तरह व्यवहार कर सकते हैं।

बोध प्रश्न 2

i) उत्तर भारत के तीन नातेदारी समूहों की एक पंक्ति में नाम दें।

.....

.....

.....

.....

.....

10.4.2 नातेदारी शब्दावली

विभिन्न नातेदारी शब्दावली की तुलना और विश्लेषण हमें नातेदारी संरचना, उसके ढांचे ,प्रत्येक शब्द से जुड़े व्यवहार को समझने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, नातेदारी शब्द हमारे सामाजिक रिश्तों के लिए संदर्भ और मुहावरा प्रदान करते हैं। कई बार एक ही नातेदारी शब्द का इस्तेमाल अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग अर्थों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि नातेदारी की शब्दावली का अध्ययन भाषा और

संस्कृति के अध्ययन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यहाँ, हम चर्चा करते हैं कि उत्तरी क्षेत्र के भाषाई क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली नातेदारी शब्दावली के संबंध में यह प्रकरण कैसा है।

i) उत्तर भारतीय नातेदारी की वर्णनात्मक प्रकृति

नातेदारी शब्दावली भाषाई दृष्टि से नातेदारी संबंधों की अभिव्यक्ति है। उत्तर भारत के मामले में, हम शब्दावली की प्रणाली को वर्णनात्मक कह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नातेदारी शब्द आमतौर पर वक्ता के दृष्टिकोण से रिश्ते का वर्णन करते हैं। कुछ शब्दों में, यहाँ तक कि सबसे दूर के रिश्तेदारों को भी सटीक रूप से वर्णित किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्दों के विपरीत उत्तर भारतीय नातेदारी की शब्दावली बहुत स्पष्ट हैं चाचा, चाची, चचेरे भाई, पितृसत्तात्मक/मातृसत्तात्मक संबंधों, जो उम्र को प्रकट नहीं करते हैं, उदाहरण के लिए, जब हम चचेरे भाई कहते हैं, तो इसे आसानी से पिता के छोटे भाई (चाचा) के बेटे के रूप में अनुवादित किया जा सकता है, जो वक्ता को भाई (भाई) के रिश्ते में खड़ा करता है। इसी तरह, ममेरा भाई का मतलब है माँ का भाई (मामा का) बेटा। हम समानांतर और क्रॉस-चचेरे भाई के बीच किए गए एक स्पष्ट अंतर को पाते हैं। एक के भाई के बच्चे भतीजा (पुरुष बच्चे के लिए) और भतीजी (महिला बच्चे के लिए) हैं। एक की बहन के बच्चे भांजा (पुरुष बच्चे के लिए) और भांजी (महिला बच्चे के लिए) हैं।

ii) नातेदारी की शब्दावली सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है

नातेदारी व्यवहार की संकल्पना ए0आर0 रेडक्लिफ ब्राउन ने दी है। उसमें तीन प्रकार के नातेदारी नियमों को पहचाना है। जो नातेदारी व्यवहार को सूचित करते हैः

1) सहोदर समूह की एकता
2) निकटवर्ती पीढ़ियों को दूरी
3) वैकल्पिक पीढ़ियों का विलय

नातेदारी शब्दावली और व्यवहार दोनों इन सिद्धांतों को व्यक्त करती हैं। दो प्रमुख नातेदारी व्यवहारों के स्वरूप हँसी मजाक का रिश्ता और शील संकोच का रिश्ता है। इन दोनों का समान प्रकार्य है, जैसे तनाव कम करना संबंध जो संदिग्ध है, के भेदक तंत्र के रूप में उपयोग करना।

नातेदारी शब्द का बहुत उपयोग भी परिजनों से अपेक्षित व्यवहार को स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए, ऑस्कर लुईस (1958: 189) ने उत्तर भारतीय गाँव के अपने अध्ययन में, एक व्यक्ति और उसके बड़े भाई की पत्नी के बीच के पैटर्न और संबंधों का वर्णन किया है। यह लोकप्रिय रूप से देवर-भाभी रिश्ते के रूप में जाना जाता है, जो कि स्वाभाविक रूप से एक 'परिहास' का रिश्ता है।

मजाक के रिश्ते के विपरीत, एक महिला और उसके पति के पिता के बीच 'परिहार' का व्यवहार है। इसी तरह, उसे अपने पति के बड़े भाई से परिहार होगा। पति के पिता के लिए शब्द ससुर है और पति के बड़े भाई के लिए भसुर है। भसुर संस्कृत शब्द भर्तृ (भाई) और श्वसुर (ससुर) का एक संयोजन है, और इसलिए, ससुर की तरह है।

10.4.3 विवाह नियम

उत्तर भारत के संदर्भ में, हम पाते हैं कि लोग जानते हैं कि किससे शादी नहीं करनी है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से, यही बात यह कह कर व्यक्त की जा सकती है कि उत्तर भारत में

विवाह के निषेधात्मक नियम हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि विवाह को एक निर्धारित सीमा से बाहर की अनुमति है। आइए देखें कि उत्तर भारत में यह सीमा या बहिर्विवाह का नियम क्या है।

i) गोत्र बहिर्विवाह

विवाह के मामलों में एक व्यक्ति की मूल वंश क्रम से संबंधित होना सबसे अच्छा है। किसी भी पुरुष को अपने पितृवंश की बेटी से शादी करने की अनुमति नहीं है। उत्तर भारत में पांच या छह पीढ़ियों तक के संबंधों को आम तौर पर याद किया जाता है और इस सीमा के भीतर विवाह गठबंधन की अनुमति नहीं है। ऐसी स्थिति में वंश कुल में बदल जाता है और हम गोत्र (कुल) और गोत्र भाई (कुल सहचर) की बात करते हैं।

ii) चतुर्गोत्रीय सीमा का नियम

इरावती कार्वे के (1953:118) शब्दों में, इस नियम के अनुसार, एक पुरुष को (i) अपने पिता के गोत्र, (ii) अपनी माता का गोत्र, (iii) अपने पिता की माता का गोत्र और (iv) माता की माता का गोत्र से विवाह नहीं करना चाहिए। उत्तर भारत में मौजूद एक अन्य प्रकार की बहिर्विवाह, ग्राम बहिर्विवाह है। एक गाँव में आमतौर पर एक या दो वंश के सदस्य रहते हैं। एक ही वंश से संबंधित सदस्यों को अंतर्विवाह की अनुमति नहीं है। यह सिद्धांत उन गाँवों तक भी फैला हुआ है, जिनमें दो से अधिक वंश हैं। दूसरे शब्दों में, उत्तर भारत के एक गाँव में एक लड़का और लड़की एक भाई और बहन की तरह होते हैं और इसलिए आपस में शादी नहीं कर सकते।

iii) उपजाति के भीतर विवाह

यह स्थानीय शब्दों से संबद्ध उपजाति के भीतर विभिन्न इकाइयों की स्थिति का विचार है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के सरयूपारीण ब्राह्मण का उदाहरण लेते हुए, लुई ड्यूमो (1966: 107) द्वारा अध्ययन किया गया, तो हम पाते हैं कि इस क्षेत्र के सरयूपारीण ब्राह्मणों के तीन उप-समूहों में से प्रत्येक तीन घरों (परिजन ,समूह या वंश) में विभाजित है, जो श्रेणीबद्ध रूप से स्थिति हैं । विवाह हमेशा निचले से उच्चतर घर में होते हैं। इसका मतलब यह है कि लड़कियों को हमेशा उस परिवार को दिया जाता है, जिसे घर को अपने स्तर से ऊपर रखा जाता है। इस संदर्भ में, हम उत्तर भारत में लोकप्रिय कहावत का भी उल्लेख कर सकते हैं कि 'लता को वापस नहीं जाना चाहिए '। इसी विचार को एक अन्य उत्तर भारतीय ने प्रतिबिंबित किया है कि 'पाँव पूजके , लड़की नहीं ले जाएंगे' (यानी, एक बार जब हमने शादी समारोह के दौरान दूल्हे के पैर धोए हैं, तो हम उसके परिवार की एक लड़की को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब होगा हम उस पक्ष को अपने पैर धोने की अनुमति देते हैं या रिश्तों को उलटने की अनुमति देते हैं)। उत्तर भारत में, इस तरह के उलटाव की अनुमति नहीं है और इस प्रकार, हम पितृसत्तात्मक क्रॉस-चचेरे भाई के साथ विवाह पर निषेध का नियम पाते हैं।

यहाँ एक और सिद्धांत का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। यह पुनरावृत्ति मुक्त नियम है। इसका मतलब यह है कि यदि पिता की बहन की शादी एक परिवार (खानदान) में हुई है, तो उसी परिवार में अपनी बहन की शादी नहीं की जा सकती है। (ड्यूमो 1966: 104-7)।

पुनरावृत्ति पर रोक से पता चलता है कि उत्तर भारत में मातृसत्तात्मक क्रॉस-कजिन का विवाह (ममेरे भाई/बहनों के बीच विवाह) वर्जित है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि उत्तर

भारत में पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक क्रॉस-कजिन विवाह (ममुरे-फुफेरे भाई-बहनों के विवाह की) दोनों को अनुमति नहीं है।

10.4.4 नातेदारों के बीच उपहारों का औपचारिक आदान-प्रदान

जीवन चक्र अनुष्ठानों के अवसरों पर उपहारों का औपचारिक आदान-प्रदान हमें नातेदारों की विभिन्न श्रेणियों के बीच एक प्रतिमान व्यवहार की समझ प्रदान करता है। आम तौर पर दुल्हन-पक्ष, दूल्हे-पक्ष की तुलना में अपनी निम्न स्थिति के कारण, शादी के दौरान उपहार देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और अधिक से अधिक उपहार देना जारी रखते हैं। दूसरे शब्दों में, आप कह सकते हैं कि उपहार देना और प्राप्त करना एक अच्छी तरह से परिभाषित सामाजिक गतिविधि है (जैन 1996 इ देखें)। आइए हम इस व्यवहार का उदाहरण लें।

ए.सी.मेयर (1960: 232) ने मालवा के एक गाँव में नातेदारी के अपने अध्ययन में उल्लेख किया है कि एक व्यक्ति की माँ के भाई द्वारा दिए गए सभी उपहारों को ममेरे कहा जाता है। माँ के भाई द्वारा दिए गए उपहारों के विपरीत, अपने पितृवंश द्वारा दिए गए उपहार कहलाता है। उन उपहार के लिए भी 'बान' शब्द का उपयोग किया जाता है, जो अन्य रिश्तेदारों द्वारा दिया जाता है जैसे कि दूल्हे की बहन के पति से दूल्हे की पत्नी के भाई को । इससे पता चलता है कि दूल्हे की बहन के पति अर्थात् जीजा (या आरोही पीढ़ी के संदर्भ में पिता की बहन का पति) अर्थात् फूफा, दूल्हे की पत्नी के भाई (या आरोही पीढ़ी के लिए माँ के भाई अर्थात् मामा) की तरह सगोत्र का एक हिस्सा है।

10.5 दक्षिण भारत में नातेदारी प्रणाली

आइए हम पहले उस क्षेत्र को परिभाषित करें जिसे हम दक्षिण भारतीय नातेदारी प्रणाली की अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल को आम तौर पर दक्षिण भारत के रूप में माना जाता है। इन चार राज्यों के कब्जे वाले क्षेत्र में, हम नातेदारी संगठन का एक सामान्य रूप पाते हैं। उत्तर की तरह, हम दक्षिण में भी नातेदारी प्रणाली में विविधता पाते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस क्षेत्र में, केरल राज्य अपने वंश की मातृ- वंशीय प्रणाली और अंतर-जाति उर्ध्वमुखी विवाह प्रथा के कारण अलग है। दूसरे, समान तत्वों के बावजूद, इन चार भाषाई क्षेत्रों में से प्रत्येक में नातेदारी के अपने विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक प्रणाली हो सकते हैं। इस क्षेत्र को परिभाषित करने के बाद, चलिए अब नातेदारी समूहों की चर्चा शुरू करते हैं।

10.5.1 नातेदारी समूह

दक्षिण भारत में नाते संबंधियों को मुख्य रूप से दो समूहों में वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि पितृवंश और विवाह-संबन्धी।

पितृवंशीय: उत्तर भारत के समान, दक्षिण भारत में भी अपने परिवार से परे नातेदार पितृवंश परंपरा के होते हैं और उनमें पारस्परिक रूप से हरेक की घनिष्ठता होती है। यह घनिष्ठता व सहयोगिता पितृ स्थानीय आवास के नियम से जुड़ी है। इस प्रकार, वंश और निवास के नियम नातेदारी के समूहों की रचना करने में सहायक होते हैं। इस तरह के समूह को दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए, के. गॉफ (1955) ने अपने अध्ययन में तंजौर जिले के ब्राह्मणों के पितृवंशीय परंपरा वाले वंश समूहों का वर्णन किया है, जो छोटे-छोटे समुदायों में बँटे हुए हैं। गाँव के भीतर ही प्रत्येक जाति में एक से बारह बहिर्विवाही पितृवंशीय समूह होते हैं।

विवाह-संबन्धी परिजनः पितृवंश के सदस्यों के विपरीत, हमारे पास आत्मीय रिश्तेदारों (शादी से संबंधित) के परिजन समूह हैं। उनका संबंध विवाह के माध्यम से बनता है। ये वे संबंधी होते हैं, जो माँ तथा पत्नी के जन्म परिवार के सदस्य होते हैं। इन्हें आमतौर पर 'मामा- मच्चिनान' के रूप में जाना जाता है। इस वर्ग में वे समूह भी आते हैं जिन समूहों में अपनी बहिन अथवा पिता की बहिन का विवाह होता है। पितृवंश परंपरा और विवाह जन्य संबंधियों के बीच अंतःक्रिया का स्वरूप जैसे डॅयूमों ने बताया है, सदा मधुर और सौहार्दपूर्ण होता है।

नातेदारी समूहों की इस चर्चा से, अब हम नातेदारी शब्दावली के विवरण पर आगे बढ़ते हैं।

बोध प्रश्न 3

i) दक्षिण भारत में दो नातेदारी समूह क्या हैं? अपने उत्तर के लिए एक पंक्ति का उपयोग करें।

.....

.....

.....

.....

.....

10.5.2 नातेदारी शब्दावली

नाते संबंधी को बहुत ही स्पष्ट और सीधे ढंग से अभिव्यक्त किया जाता है। लुई ड्यूमो (1986: 301) के अनुसार, इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं यह हैं कि (i) चचेरे-मौसेरे और ममेरे-फुफेरे भाई-बहन में भेद यिा जाता है। और (ii) यह वर्णात्मक है। आइए इन दो विशेषताओं पर चर्चा करें।

i) समानांतर और क्रॉस-चचेरे भाई

चचेरे-मौसेरे भाई-बहन और ममेरे-फुफेरे संबंधी

चचेरे तथा मौसेरे भाई बहन वे होते हैं जो एक लिंग के सहोदरों के बच्चे होते हैं। जो समान लिंग के भाई-बहनों के बच्चे हैं। इसका मतलब है कि दो भाइयों अथवा दो बहनों के बच्चे एक दूसरे के क्रमशः चचेरे-मौसेरे भाई बहन होते हैं। ममेरे-फफेरे भाई बहन वे होते हैं जो विपरीत लिंग के सहोदरों की संतान होते हैं। इसका मतलब है कि एक भाई और एक बहन के बच्चे एक दूसरे के ममेरे-फुफेरे भाई-बहन कहलाएंगे।

दक्षिण भारत की नातेदारी शब्दावली में चचेरे-मौसेरे भाई-बहनों और ममेरे-फुफेरे संबधियों के इन दो वर्गों को स्पष्ट रूप से पृथक-पृथक रखा गया है। ऐसा करने के बहुत अच्छे कारण हैं क्योंकि दक्षिण भारत में, चचेरे-मौसेरे भाई-बहनों के आपस में विवाह नहीं हो सकते जबकि ममेरे-फुफेरे संबंधियों के आपस में विवाह हो सकते हैं। चचेरे-मौसेरे भाई-बहनों को एक दूसरे भाई-बहन माना जाता है। उदाहरण के लिए, मिल में सभी चचेरे-मौसेरे भाई-बहनों को अण्णा (बड़े भाई) या तंबी (छोटे भाई) और अक्का (बड़ी बहन) या तंगाई या तंगावी (छोटी बहन) कहा जाता है। ममेरे-फुफेरे कभी भी भाई-बहन नहीं होते हैं।

उदाहरण के लिए, उन्हें तमिल में, मामा मगल/मगन (माँ के भाई की बेटी/बेटा) या अट्टई मगल/मगन (पिता की बहन की बेटी/बेटा) कहा जाता है।

ii) **नातेदारी शब्दावली की वर्गात्मक स्वरूप**

चचेरे-मौसेरे तथा ममेरे-फुफेरे भाई-बहनों के मध्य विभेद तथा शब्दावल के वर्गात्मक स्वरू के कारण द्रविड़ नातेदारी शब्दावली आइने की तरह सामने आती है। ये शब्दावली निम्नलिखित प्रकार से वर्गात्मक समझी जाती है।

व्यक्ति अपनी पीढ़ी को दो समूहों में विभाजित किया गया है।

क) एक समूह (तमिल में पंगली के रूप में जाना जाता है) में सभी भाई और बहन शामिल हैं, जिनमें व्यक्ति के चचेरे-मौसेरे भाई-बहन और पिता के चचेरे-मौसेरे भाई बहनों के बच्चे सहित उसके भाई बहन होते हैं।

ख) दूसरे समूह में ममेरे-फुफेरे विवाह जन्म संबधी होते हैं जैसे कि वर्ग (क) नातेदारों के पति/पत्नी। तमिल में, इस श्रेणी को मामा- मच्चिनन शब्द से पुकारा जाता है।

10.5.3 विवाह नियम

दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था विवाह के सकारात्मक नियम है। इसका अर्थ यह है कि विवाह में एक खास तरह के संबंध की वरीयता स्पष्ट रूप से बताई गई है और उनका पालन किया जाता है।

अधिमान्य विवाह नियमों के तीन प्रकार

अधिमान्य विवाह नियमों के तीन प्रकार हैं।

i) दक्षिण भारत में अनेक जातियों में, पहली वरीयता अपनी बड़ी बहन की बेटी से विवाह को पहली अधिमान्यता दी जाती है। नायर जैसे मातृसत्तात्मक समाजों में, यह अनुमति नहीं है।

ii) अधिमान्य विवाह के दूसरे वर्ग में अपनी बुआ (पिता की बहन) की बेटी के साथ है। दूसरे शब्दों में, यह भी कह जा सकता है कि एक महिला अपने मामा (माँ के भाई) के बेटे से शादी करती है। इस तरह की शादी में, पलटे का सिद्धांत काफी स्पष्ट है। जो परिवार, एक बेटी देता है, शादी में बदले में एक बेटी प्राप्त करने की उम्मीद करता है।

iii) तीसरे प्रकार का अधिमान्य विवाह है अपने मामा की पुत्री से विवाह करना। यह उपर्युक्त नियम (II) का उल्टा है। कुछ जातियाँ, जैसे कि तमिलनाडु की कल्लर, कर्नाटक की हविक ब्राह्मण, आंध्र प्रदेश की कुछ रेड्डी जातियाँ में इस प्रकार के नियम ही अधिमान्य हैं।

वैवाहिक गठबंधनों के संबंध में प्रतिबंध

इस संदर्भ में यह देखना आवश्यक है कि कुछ रिश्तेदारों के बीच विवाह के संबंध में क्या प्रतिबंध हैं। उदाहरण के लिए, कुछ जातियों में एक आदमी अपनी बड़ी बहन की बेटी से शादी कर सकता है लेकिन छोटी बहन की बेटी से नहीं। साथ ही एक विधवा अपने मृत पति के बड़े या छोटे भाई या यहाँ तक कि उनके वर्गात्मक भाई से शादी नहीं कर सकती। यहाँ हम पाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, विवाह के लिए निषिद्ध व्यक्ति अलग-अलग होते

हैं। फिर, निश्चित रूप से, यह नियम कि एक व्यक्ति अपने ही परिवार और अपने ही वंश में विवाह नहीं कर सकता। कल्लर उपजाति के मामले में वंश को कुट्टम (ड्यूमो 1986: 184) के रूप में जाना जाता है। वंश परंपरा के सारे व्यक्तियो के लिए वंश परंपरा के अंदर विवाह वर्जित है।

10.5.4 नातेदारों के बीच उपहारों का औपचारिक आदान-प्रदान

उपहार देने और लेने की प्रक्रिया में नातेदारी संबंधों की विभिन्न श्रेणियों के पृथक्करण/विलयीकरण संबंधी सिद्धांत को परिचालित होते हैं। यही कारण है कि हम नातेदारी व्यवहार के इस पहलू को देखते हैं। दक्षिण भारत में उपहार और प्रति-उपहार कुछ व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों या कुछ समूहों से दूसरे समूहों में दिये जाने वाले दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।

i) वधू के परिवार द्वारा वर के परिवार के दिए जाने वाले उपहार अथवा वर के परिवार द्वारा वधू के परिवार को दिए जाने वाले उपहार विवाह जन्य संबंधियों के बीच अदान-प्रदान की श्रृंखला के रूप में देखे जा सकते हैं। यह उपहार विनियमन के अलग-अलग अपने दायरे में आपस में होता है।

ii) पहल वर्ग है, उपहार देने वाला और दूसरा लेने वाला वर्ग - इन दोनों समूहों में होते हैं। इन्हें उपहारों का आंतरिक आदान-प्रदान कह सकते हैं। कभी-कभी किसी व्यक्ति को दोनों पक्षों से उपहार प्राप्त करना संभव होता है। रिश्तेदारों के बीच विवाह के सकारात्मक नियमों के कारण, अक्सर कुछ व्यक्तियों को एक ही समय में दाता और प्राप्तकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। दूसरे शब्दों में, यह संबधों के विलय की एक प्रक्रिया है।

अंत में, हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में उपहारों के औपचारिक आदान-प्रदान पर नातेदारी व्यवहार के संदर्भ में, पारस्परिकता का तत्व मौजूद है, हालांकि वधू-पक्ष को मिलने वाले उपहारों की तुलना में अधिक उपहार देने होते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से, हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में, वधू-पक्ष से वर-पक्ष तक एकतरफा तरीके से उपहार आते हैं। नतीजतन, वधू-पक्ष, बदले में, अपने स्वयं के समुदाय में बढ़ी हुई प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति प्राप्त करते हैं। दक्षिण भारत में, शादी के सकारात्मक नियम का मतलब है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच उपहारों का आदान-प्रदान होता है। दोनों पक्षों के आदान-प्रदान में हमेशा उपहारों की मात्रा में अंतर होता है लेकिन उनके प्रवाह को दोनों तरफा रहना पड़ता है। यह उत्तर भारत की तरह दिशाहीन नहीं हो सकता।

10.6 उत्तर.पूर्व और दक्षिण-पश्चिम भारत में मातृवंशीय में नातेदारी संगठन

पितृवंशीय समाजों में नातेदारी संगठन के व्यापक विन्यासों को रेखांकित करने के बाद, हम अब भारत में कम प्रचलित मातृवंशीय वंशक्रम व्यवस्था के अपेक्षाकृत कम पाये जाने वाले रूपों का विवरण देते हैं। ये पितृवंशीय वंश व्यवस्था के विपरीत हैं और हमें नातेदारी के बिल्कुल अलग विन्यासों के उदाहरण प्रदान करते हैं।

भारत में मातृवंशीय समुदाय केवल दक्षिण-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। उत्तर भारत में, मातृवंशीय सामाजिक संगठन मेघालय और असम की गारो और खासी जनजातियों में पाया जाता है। दक्षिण भारत में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ

हिस्सों में और केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप में मातृवंश पाया जाता है। इन क्षेत्रों में हिंदू और मुस्लिम दोनों के मातृवंशीय समूहों के बीच, संपत्ति उनकी बेटियों को उनकी माताओं से विरासत में मिली है। आइए हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं कि एक मातृवंशीय व्यवस्था क्या है। फिर हम उपरोक्त समाजों में नातेदारी संगठन के विन्यासों को देखेंगे।

10.6.2 उत्तर-पूर्व भारत में मातृवंशीय समूह

उत्तर-पूर्व में, मुख्य रूप से मेघालय और असम के राज्यों में गारो और खासी द्वारा मातृवंश का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अब हम इन दो समूहों में से प्रत्येक में नातेदारी संगठन की व्यापक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे।

i) गारो

मुख्यतः मेघालय राज्य में पाई जाने वाली गारो जनजातियों में पुत्रियों द्वारा स्थापित घरबार की व्यवस्था से मातृवंश परंपरा का पता चलता है। मातृवंश परंपरा मूल गृहस्थी से बनती है। (एक महिला, उसकी बेटी और उसके दामाद से मिलकर) जो एक बेटी को अपनी मूल परिवार में रखकर मूल परिवार को बनाये रखता है। एक मातृवंशीय को मचॉन्ग शब्द से समझा जाता है, जिसका अर्थ है एक बस्ती में रहने वाला विस्तारित नातेदार समूह। मातृवंश या मचॉन्ग के सभी सदस्यों का एक ही उदगम होता है। बच्चे अपनी मां के कुल का नाम ग्रहण करते हैं। वंशक्रम चलाने और संपत्ति अंतरित करने के मामले में, माता वह धुरी है जिसके चारों ओर गारो समाज घूमता है। पर दूसरे ओर भूमि और अन्य संपत्ति के विषय में निर्णय लेने की शक्ति और गृहस्थी अर्थात् बाकि मामले का प्रबंध पुरुषों के हाथों में होता है। गारो समूह दो अंशों (phratrics) में बंटे हैं। गारो भाषा में अंश को कट्‌ची कहते हैं। प्रायः जनजाति समाज नातेदारी की ऐसी इकाइयों में बँटे होते हैं। गारो के बीच दो नातेदारी इकाइयों को क्रमशः मरक और संगमा नाम दिया गया है। इन दो इकाईयों के बीच अंतर्विवाह नहीं होते हैं। शादी के बाद निवास का स्वरूप मातृस्थानिक है। इसका मतलब है कि विवाह के बाद दामाद अपनी पत्नी के माता-पिता के घर में रहता है। वह अपने ससुर का नोकरम बन जाता है। ससुर की मृत्यु के बाद, नोकरम अपनी पत्नी की माँ से शादी कर लेता है और माँ और बेटी दोनों के पति बन जाता है तथा बेटी केवल एक आर्थिक व्यवस्था है जो दामाद को अपने ससुर का उत्तराधिकार या नोक का शीर्ष बनाने के लिए सहायक है।

मातृवंशीय ममेरे भाई-बहनों का विवाह (मामा की पुत्री से विवाह) और सास विवाह (अपनी सास के साथ एक आदमी की शादी) के नियम ऐसी दो प्रक्रियाएँ हैं जिससे उपर्युक्त दो परंपराओं के बीच अंतर्विरोध से उठने वाली समस्याएँ समाप्त हो जाती है। दूसरे, गारो समाज में तलाक दुर्लभ है। हालांकि, व्यभिचार की घटना होने पर तलाक हो जाता है। इसी प्रकार काम करने से मना करने पर भी तलाक हो जाता है।

ii) खासी

खासी मातृवंशीय जनजाति है, जो मेघालय की पहाड़ियों में रहती है। इस जनजाति के लोग वंशक्रम का निर्धारण मातृवंश परंपरा से करते हैं। इसका मतलब है कि वे मां के माध्यम से अपने वंश का पता लगाते हैं। विरासत और उत्तराधिकार भी मां के माध्यम से ही है। शादी के बाद निवास मातृस्थानिक होता है। इसका अर्थ यह है कि शादी के बाद एक आदमी अपनी पत्नी के माता-पिता के साथ रहता है। खासी में बहिर्विवाही कुल हैं, अर्थात, एक कुल के दो व्यक्ति एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं।

उनकी नातेदारी शब्दावली वर्गात्मक होती है। इसका अर्थ यह है कि वे अपनी वंश परंपरा के नातेदारों (पिता, पुत्र आदि) को उन शब्दों से पुकारते हैं, जो शब्द पितृवंश परंपरा के उसी अनुक्रम के नातेदारों (ताऊ, चाचा, चचेरे भाई आदि) के लिए भी लागू होते हैं। खासी जनजाति में विवाह के नियमों में मातृवंशीय ममेरे भाई-बहनों के बीच विवाह संबंध स्वीकार्य है। लेकिन लिविरेट विधवा की शादी (अपने पति के भाई के साथ) या सोरोरेट (एक विधुर का अपनी पत्नी की बहन से विवाह) की शादी की अनुमति नहीं है। उनमें अनुलोम विवाह अर्थात् महिला के अपने समूह से अधिक उच्च हैसियत के समूह में विवाह की प्रथा भी नहीं है। बहुपत्नी (एक समय में एक पुरुष का एक से अधिक पत्नी का विवाह) और साथ ही बहुपति (एक समय में एक महिला का एक से अधिक पति का विवाह), खासी में नहीं पाये जाते हैं। पुरुष पत्नी के अतिरिक्त अन्य महिला से वैवाहिक संबंध अवश्य रख सकता है। कुछ समूहों में उस महिला से हुई संतान अपने पिता की अर्जित संपत्ति में परिवार के अन्य बच्चों के समान बराबर का उत्तराधिकार प्राप्त करती है।

खासी मानते हैं कि कुल के सभी सदस्य एक महिला पूर्वज के वंशज होते हें। उन्हें 'एक कुल' कहा जाता है। 'एक कुल' आगे उप-कुलों में विभाजित हो सकता है, उपकुल उनसे प्रारंभ होता है, जो एक परनानी के वंशज होते हैं। अगली इकाई वह परिवार है, जिसमें नानी उसकी पुत्रियों और पुत्रियों के बच्चे एक छत के नीचे इकट्ठे रहते हैं। लड़का प्रायः उस परिवार में चला जाता है जिसमें उसका विवाह होता है। पति के रूप में पुरुष का काम संतान पैदा करना होता है। शादी से पूर्व पुरुष द्वारा अर्जित सभी संपत्ति उसकी मां की है। विवाह के बाद पुरुष द्वारा अर्जित संपत्ति उसकी पत्नी के पास चली जाती है। पत्नी और बच्चों को इस तरह की संपत्ति विरासत में मिलती है। पत्नी की मृत्यु पर संपत्ति का मुख्य अंश सबसे छोटी बेटी को मिलती है। यदि उनके कोई बेटी नहीं है, तो केवल ऐसी-स्थिति एक पुरुष की अर्जित संपत्ति बेटों में समान रूप से विभाजित होती है।

10.6.3 दक्षिण-पश्चिम भारत में मातृवंशीय समूह

भारत के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में केरल राज्य मातृवंशीय समुदायों की मुख्य गढ़ रहा है। यहाँ हम नायर समुदाय के मामले पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। हम केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप में मातृवंशीय मुस्लिम समुदाय की विशेषताओं को भी देखेंगे।

i) नायर उदाहरण

सबसे पहले के. गॉफ (1952) ने ही बताया था कि नायरों में अलग-अलग नामों वाली जातिगत श्रेणियाँ है और उनमें तीन प्रकार की भिन्न-भिन्न नातेदारी व्यवस्था है। ये व्यवस्था उत्तरी केरल, मध्य केरल और त्रावणकोर के आसपास के दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ हम मध्य केरला के नायर जाति नातेदारी व्यवस्था का विस्तृत से चर्चा करेंगे।

मध्य केरल के नायर में पति यदा कदा आय करता है। इस प्रकार उनके यहाँ मूल परिवार की संस्था नहीं है जिसमें पति, पत्नी और बच्चे एक छत के नीचे रहते हैं।

इस व्यवस्था में नायर महिलाओं को दक्षिण-पश्चिम केरल के नंबूदिरी ब्राह्मणों से शादी करने की अनुमति थी। वे नायरों के अपने समूहों की उच्च जातियों में भी विवाह कर सकती थीं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि नायरों में अनुलोम विवाह का प्रचलन था अर्थात् वे अपनी कन्याओं का विवाह उन समूहों में करते थे जिनकी सामाजिक प्रस्थिति उनके समूह की सामाजिक प्रस्थिति से उच्च होती थी। इस प्रकार भी व्यवस्था से हमें भारत में अंतर्जातीय अनुलोम विवाह का अनोखा उदाहरण मिलता है क्योंकि उनमें नंबूदरी ब्राह्मणों व क्षत्रिय नायरों के बीच विवाह की अनुमति है।

वंश परंपरा समूह की एकता पर जोर होने के कारण नायरों में विवाह सबसे कमजोर संस्था थी। गॉफ ने मातृवंशीय परंपरा के भीतर नातेदारी के अंतर्वैक्तिक संबंधों का वर्णन किया है और माँ और बेटे के बीच घनिष्ठता है। दूसरी ओर, उन्होंने बताया है कि मामा और भाँजें (बहल और पुत्र) के बीच परिहार (Avoidance) और संयम के व्यववहार की अपेक्षा थी तथा मामा की भाँजी से परिहार जरूरी था। मातृवष परंपरा के हर पुरुष को अपनी छोटी-बहन के प्रति औपचारिक व्यवहार रखना होता था। नायरों में नातेदारी के ये विशिष्ट लक्षण हैं। तराबाड में पुरुष अपने और कनिष्ठ महिलाओं के बीच कौटुम्बिक व्यभिचार (incest) प्रतिबन्धों का पालन करता था। इन प्रतिबंधों के पालने से वंशक्रम समूह की एकता बनी रहती थी। इसी तरह मातृवंश परंपरा के भीतर भी यौन संबंधों की अनुमति नहीं थी। ये यौन संबंध कुछ विवाह जन्य संबंधियों के बीच और निम्न जातियों के लोगों से भी वर्जित थे।

उदाहरण के लिए, गॉफ ने बताया है कि आश्रित नायर जातियों में, एक महिला के एक ही समय में कई पति थे। उपयुक्त समूहों के पुरुष भी उससे मिलते थे। नायर पुरुष के संबंध में भी यही था। वह उपयुक्त समूहों की अनेक महिलाओं के पास जाता था। इस स्थिति में, 'विवाह', अथवा सम्बन्ध (नायर समुदाय में प्रयुक्त शब्द) में बहुत कम पाबंदियाँ व दायित्व में होते थे । विवाह या संबंधम् को मूर्त रूप से व्यक्त करने के लिए किसी भी मौके पर कोई अनुष्ठान नहीं होता था। बच्चों के जन्म को वैध बनाने की प्रक्रिया काफी सरल थी। प्रसव कराने वाली दाई को कानूनन बाध्यकारी रकम की अदायगी और माँ के वस्त्रों का उपहार उपयुक्त श्रेणी के किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा दिए जाते थे, जिससे उस महिला के साथ संबंधम ('विवाह') होते थे। यह वह सब बच्चों को वैध बनाने के लिए था। वैवाहिक प्रस्थिति दर्शाने के लिए महिलाएँ जीवन पर्यन्त ताली या मंगलसूत्र पहनती थी। माँ और उसके बच्चे केवल अनुष्ठानिक पति (ritual husband) की मृत्यु का सूतक मानते थे। लेकिन मिले आते रहने वाले पतियों की मृत्यु पर वे कुछ नहीं करते थे। यहाँ हमने 'अनुष्ठान पति' शब्द का उल्लेख किया है। आइए देखें इसे नायर विवाह के संदर्भ में क्या कहते हैं।

भूमि और अन्य संपत्तियों के प्रबंधन में मातृवंशीय समूह कोई महत्वपूर्ण इकाई नहीं थी। इसके बदले हम पाते हैं कि संपत्ति समूह मुख्य वैधानिक इकाईयाँ थी। यह स्थानीय जाति समूहों में उपलब्धा था। वरिष्ठतम पुरुष सदस्य जिसे 'कारनावान' (Karnavan) कहा जाता था वह संपत्ति समूहों की आर्थिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार था (तारवाड)। नायरों में 'तारवाड' कूल और वंशों के लिए प्रयुक्त होता है। यह संपत्ति समूह के लिए भी प्रयुक्त होता था। लड़कियों के प्रसूति पूर्व और विवाह के संस्कारों तथा तारवायड सदस्यों के मृत्यु संस्कारों में तारवायड या कुल सदस्यों द्वारा सहयोगात्मक प्रदान किया जाता है। इन समारोहों में आपसी सहयोग की अनुवांशिक बंधनों से इन वंशों के लोग जुड़े होते हैं।

नायर के बीच मातृवंशीय नातेदारी संगठन के प्रचलन में हाल के परिवर्तनों के आधार पर, यह कहा जाता है कि मध्य केरल के नायर तेजी से मूल परिवार के विचार को अधिक से स्वीकार कर रहे हैं। के.आर. उन्नी (1956) ने मध्य केरल के नायरों में आवास के विन्यास में बदलाव का अध्ययन किया है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि ये नायर मातृवंशीय परंपरा वाली नातेदारी व्यवस्था की जगह द्विपक्षीय नातेदारी व्यवस्था में ला रहे थे। इसका मतलब है कि उन्होंने माता और पिता दोनों के रिश्तों पर जोर देना शुरू कर दिया है।

ii) लक्षद्वीप के मातृवंशीय मुसलमान

अब हम लक्षद्वीप के मातृवंशीय मुस्लिम समुदाय की चर्चा पर चलते हैं। ये मातृवंशीय मुसलमान केरल के अप्रवासी हिंदुओं के वंशज हैं। कालांतर में उनका, इस्लाम में धर्म परिवर्तित हो गया। वे द्विस्थानिक आवास का पालन करते हैं। द्विस्थानिक आवास का अर्थ है कि पति और पत्नी अलग-अलग स्थानों में रहते हैं। इस संदर्भ में इसका अर्थ है कि पति रात में अपनी पत्नी के घर जाता है। इस द्वीप में मातृवंश परंपरा की आम इकाई तरावाड़ है। यहाँ तरावाड़ में वे सारे स्त्री-पुरुष होते हैं जिनका वंशक्रम महिला पूर्वज से चलता हैं। तरावाड़ सारे सदस्य तराबाड का नाम अपने नाम से पहले जोड़ते हैं। एक व्यक्ति के तरावाड में जन्म लेने के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को तरावाड़ की संपत्ति में अंश प्राप्त करने का अधिकार होता है। यह अधिकार महिला सदस्यों के माध्यम से चलता है। पुरुष सदस्य को अपने तरावाड़ की संपत्ति का उपयोग करने का समान अधिकार होता है। तरावाड़ एक बहिर्विवाही इकाई है, अर्थात्, उसी तरावाड का एक सदस्य उसी तराबाड के अन्य सदस्य से विवाह नहीं कर सकता है। तरावाड़ में एक घरेलू समूह (domestic group) भी हो सकता है और अनेक घरेलू समूह भी हो सकते हैं।

इस समुदाय में पिता की विशेष भूमिका होती है, जो इन लोगों के इस्लाम में धर्मांतरण से साथ जुड़ी है। हर पिता की अपनी बच्चों के जीवन चक्र की रस्मों (Life-cycle ritual) से जुड़े समारोहों में काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। लीला दूबे (1969) ने बताया है कि इस्लाम के प्रभाव ने किस तरह इस समुदाय के नातेदारी, और विवाह विन्यासों को प्रभावित किया है। पितृवंशीय परंपरा को प्रधानता देने वाली सामाजिक संरचना की इस्लामी प्रथाओं ने एक मातृवंशीय परंपरा के चलने वाले नातेदारी संबंधों के स्वरूप को काफी प्रभावित किया है। द्वीप में संपत्ति की उत्तराधिकार के संबंध ा में, लीला दूबे (1969) ने बताया है कि इस द्वीप पर 'विवाह' की संस्था काफी क्षीण है। इसमें अधिकार और जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। लोग उत्तराधिकार के लिए मातृवंशीय और इस्लामी (पितृवंशीय) परंपरा के सिद्धांतों का जोड़-तोड़ करते हैं। इस्लाम में तालक की विधि है और द्वीपनिवासी अक्सर इसका उपयोग करते हैं। हालांकि, उत्पादन और उपभोग की एक इकाई के रूप में तरावाड़ की संस्था, मूल रूप से मातृवंशीय है।

मातृवंशीय परंपरा वाले समुदायों के इन विवरणों में हमें भारत में आमतौर पर पाए जाने वाले पितृवंश परंपरा के समूहों के स्वरूपों के विपरीत चित्र प्राप्त होता है। इकाई के सीमित दायरे में हमने भारत के कुछ हिस्सों में पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था के सबसे सामान्य स्वरुप और भारत के कुछ हिस्सों में मातृवंशीय नातेदारी संगठनों की कुछ व्यवस्थाओं को देखने का प्रयास किया है।

10.7 सारांश

इस इकाई में आपने नातेदारी व्यवस्था की परिभाषा और फिर भारत में नातेदारी व्यवस्था के आयाम के बारे में जाना। इकाई ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में पाए जाने वाले नातेदारी स्वरुप के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। नातेदारी समूहों, नातेदारी शब्दावली, विवाह के नियमों और नातेदारों के बीच उपहारों के औपचारिक आदान-प्रदान के संदर्भ में इन पहलुओं पर चर्चा की गई है। अंत में हमने उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम भारत में मातृवंशीय नातेदारी प्रणाली का भी विवरण दिया।

10.8 संदर्भ

जैन, शोभिता 1996. भारत में परिवार, विवाह और नातेदारी. रावत पब्लिशर्सः जयपुर

दुबे, लीला, 1969, मैट्रिलिनी एण्ड इस्लाम, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।

कार्वे , इरावती 1965. किनशिप आर्गेनाइजेशन इन इंडिया. एशिया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई।

मेयर ए.सी. 1960, कास्ट एंड किनशिप इन सेन्ट्रल इंडिया एटलज एण्ड केगल पाल, लंदन।

दुमों. एल 1966 होमो हाइरार्किकस, लंदन।

बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

i) जिन व्यक्तियों का रक्त का नाता होता है वे समरक्त संबंधी कहलाते हैं। जिन व्यक्तियों का संबंध विवाह के माध्यम से होता है वे विवाहजन्य संबंधी कहलाते हैं। पिता और पुत्र/पुत्री अथवा भाई/बहन के बीच संबंध समरक्त संबंध का उदाहरण है जबकि किसी व्यक्ति के और उसकी पत्नी के भाई के बीच संबंध विवाह जन्य संबंध का उदाहरण है।

बोध प्रश्न 2

i) उत्तर भारत में नातेदारी समूह तीन प्रकार के हैं।

(क) पितृवंश परंपरा (ख) गोत्र (ग) उपजाति

बोध प्रश्न 3

i) दक्षिण भारत में हमें दो प्रकार के नातेदारी समूह मिलते हैं, पहला पितृवंश परंपरागत ओर दूसरा विवाहजन्य संबंधियों का।